338

बिहार सरकार,
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

फैक्स पत्रांक-प्र6-कि0आ0मु0-63/05- 1681 /आ0वा0, पटना-15, दिनांक- 19.5.06

प्रेषक,

अरबिन्द कुमार तिवारी,
खाद्यायुक्त के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- किरासन तेल थोक विक्रेताओं को 2.15 प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 41 दिनांक 07.01.04 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पारित आदेश के आलोक में थोक किरासन विक्रेताओं को 2.15 प्रतिशत भुगतान की जारही अतिरिक्त कमीशन पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगाने हेतु निर्देश दिया गया था साथ ही इस मद में ली गई अधिक राशि की वसूली कर सरकारी कोष में जमा करने की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था ।

उक्त विभागीय पत्र के आलोक में बिहार किरोसिन डीलर्स एसोसिएशन एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0नं0 10788/2005 दायर किया गया जिसमें दिनांक 17.04.06 को पारित न्यायादेश में उक्त पत्र को इस हद तक निरस्त करते हुए कि पूर्व में थोक विक्रेता द्वारा 2.15 प्रतिशत लिये गये अतिरिक्त कमीशन की राशि को वसूली नहीं करने का आदेश है ।

अतः आपसे आग्रह है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में पूर्व में थोक विक्रेता द्वारा 2.15 प्रतिशत अतिरिक्त ली गई अधिक राशि की वसूली की कार्रवाई नहीं की जाय ।

विश्वासभाजन,

18.5.06

खाद्यायुक्त के सचिव ।

D:\OFFICEFILE\SECTION (6)\Extra 2.15% Commission to KO Dealer.doc